# COURT OF CIVIL JUDGE (S.D.), RAMPUR

**JSCC No. 09/2022 (Reg No. 01/2022)**

Salim Qadri **Vs.** Afsar Ali alias Nanne Bhai

| DATE | ORDER SHEET | |
|---|---|---|
| **14-05-2024** | पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं० 29 क 1 अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सी०पी०सी० प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र 29 क 1 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।<br>**निस्तारण प्रार्थना पत्र सं० 29 क 1**<br>प्रार्थना पत्र 29 क 1 मय शपथपत्र वादी/प्रार्थी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने उपरोक्त लघुवाद वर्ष 2022 में संस्थित किया था, जबकि उ०प्र० शहरी भवन अधिनियम, 1972 निरस्त (रिपील) किया जा चुका है एवं दिनांक 11–01–2021 से उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 प्रभावी गया है तथा प्रस्तुत लघुवाद उक्त अधिनियम की धारा 38 से बाधित है, जिसके तहत प्रस्तुत लघुवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। चूंकि प्रस्तुत वाद अधिनियम सं० 13 सन् 1972 के रिपील होने के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। अतः सक्षम प्राधिकारी/अधिकरण के समक्ष वाद दायर/संस्थित करने की स्वतंत्रता के साथ यह वाद प्रत्याहरण करने की अनुमति चाही गयी है।<br>सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।<br>पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद दिनांक 10–11–2022 को दाखिल किया गया है। तददिनांक को अधिनियम सं० 13 सन् 1972 रिपील हो चुका था तथा अधिनियम सं० 16 सन् 2021 प्रभाव में आ गया था। ऐसे में आवेदक को अधिनियम सं० 16 सन् 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। उपरोक्त के क्रम में आवेदक को प्रस्तुत वाद वापस कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। ऐसे में प्रार्थना पत्र 29 क 1 स्वीकार किये जाने योग्य है।<br>**आदेश**<br>प्रार्थना पत्र 29 क 1 स्वीकार किया जाता है। वादी को सक्षम न्यायालय में नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ प्रस्तुत वाद वापस किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।<br>**(अम्बरीष त्रिपाठी)**<br>सिविल जज (प्रवर वर्ग)<br>रामपुर। | |

Digitally signed by Ambareesh Tripathi
Date: 2024.05.14 17:32:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court